फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ, जिला जयपुर

राजू बनाम बाबूलाल वगै0

मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. नं0 79 / 2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.05.2025	प्रार्थी के अभि0 महेश शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी के अभि0 को सुना गया। वक्त दौराने सुनवाई प्रार्थी के अभि0 ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में होना प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक इस अम्र की जारी कर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 102, वाकै ग्राम श्रीरामनगर ,पटवार हल्का बिरासना ,तहसील ऑधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि मे रिकॉर्ड एंव मौका, की यथास्थिति बनाये रखें, यदि इस आज्ञा बाबत कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 30.05.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आदेश 39 नियम 3(ए) की पालना प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा की जावें। आदेश 39 नियम 3(ए) की पालना नही करने पर जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी समझी जावेगी। आगामी पेशी से पूर्व अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी से करवाई जाकर, रजि0 एडी व ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते तलवी हेतु दिनांक 30.05.2025 को पेश हों। सहायक कलक्टर (फास्टैं ट्रैक) जमवारामगढ जयपुर	
30/5/25	पत्रावली पेश हुइ, अधिवक्ता सघ द्वारा कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/6/25 पेश हुई	
3/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 10/06/25 को पेश हो।	
10/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 19/06/25 को पेश हो।	

19/06/25 पत्रावली पेश हुई। वादिनी प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 को तामील नोटिस किये जाने एक माह से अधिक समय हो जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादिनी प्रार्थी की प्रार्थना पत्र 212 RJ Act पर बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र 212 RJ Act अलाहदा निर्णयानुसार मुलवाद ता फैसला कलमबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो।

[signature]